न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./181/2022/बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. दुर्गाराम पुत्र आईदानराम 2. गोरधनराम पुत्र आईदानराम 3. रतनाराम पुत्र आईदानराम 4. तीजोदेवी पत्नी आईदानराम 5. गिरधारीराम पुत्र तुलछाराम जातियान जाट निवासी निम्बली (रामदेवरा), तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. नेजीदेवी पत्नी दौलाराम, जाति जाट निवासी निम्बली (रामदेवरा), तहसील सिणधरी, जिला बाड़मेर 2. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी, जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्अर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 22/2018 बअनवान दुर्गाराम बनाम नोजीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—18.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी तहसील सिणधरी के मौजा निम्बली के खसरा संख्या 77/1 रकबा 11.11 बीघा का आया हुआ है। उक्त आराजी अपीलांटगण की संयुक्त व पैतृक है जिस पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त चहा आ रहा है। अपीलांटगण के द्वारा मुख्य सड़क से अपनी आराजी में आने के लिये उत्तरदाता संख्या 01 के खेत खसरा संख्या 78 में से एक मात्र नजदीक रास्ता हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है और बरसात व काश्त के समय अपीलांटगण के खेत के चारों और अन्य काश्तकार अपनी काश्त कर देते हैं। उत्तरदाता संख्या 01 के द्वारा अपीलांटगण को अपने खेत तक जाने नहीं दिया जाता और रास्तें को लेकर हमेशा विवाद रहता हैं। इसलिए

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हस्तगत आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन विधि विरूद्ध जाकर निर्णित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि न्यायालय की मंशा न्यायिक कतई नहीं रही है, बल्कि प्रार्थीगण के पत्रावली को लम्बा करना व बाद में में कानूनी प्रावधानों के खिलाफ जाकर आदेश पारित किया गया जो काबिल खारिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश सशर्त पारित करने में भारी भूल की है। प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 77/1 की आराजी की निगरानी जहां पर माननीय राजस्व मंडल में चल रही हैं तो उसके आदेश से किसी प्रकार का कोई प्रभाव अपीलांट के हिस्से व मौके पर नहीं पड़ रहा हैं। अपीलांट का जहां पर आज कब्जा है उसका बंटवारा भी उसी प्रकार ही होना है और बाद में मार्ग भी वहीं पर ही रहना हैं। इसलिये उक्त निगरानी की आड़ में उक्त रास्तें का आवेदन खारिज करने का आदेश अपने आप में संशयपूर्ण एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर अपीलांट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि से परे जाकर अपीलांटस का आवेदन खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में नहीं रही। इस

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

त्रुटिपूर्ण आदेश का ज्ञान अपीलांटगण को दिनांक 29.09.2022 को हुआ जिस पर अपीलांट के द्वारा उसी दिन नकल के लिये आवेदन किया और नकले प्राप्त की गयी। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 77/1 मौजा निम्बली के आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए यह आवेदन प्रस्तुत किया हैं, उक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 77/1 के मूल खसरा संख्या 77 को लेकर अन्य खातेदारान द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर में प्रस्तुत अपील के जरिये खसरा संख्या 77 एवं उसमें विभक्त होकर कायम हुए खसरा संख्या के संबंध में पत्रावली रिमांड के आदेश जारी किये जाने पर प्रार्थीगण रतना व अन्य द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 1574/2021 दायर की जो कि वर्तमान में विचाराधीन हैं। पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल कारण खसरा संख्या 77 से विभक्त हुए नये खसरा नम्बर को लेकर है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी के निर्णय में मौका परिस्थितियों में कोई भिन्नता प्रकट होती है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक कानूनी पैचिदगियां बढ जायेंगी। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन निगरानी का निर्णय होने के पश्चात वर्तमान रेकर्ड, मौका एवं कब्जा स्थिति में कोई भिन्नता उत्पन्न नहीं होती है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत आवेदन को पुनः बरामद करवाने की छूट दी गई है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में मूल खसरा के संबंध में मामला विचाराधीन होने से हस्तगत अपील के जरिये अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता हैं। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील खारिज करने योग्य ठहरती हैं।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 22/2018 बअनवान दुर्गाराम बनाम नोजीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2022 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

18/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर